



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249143  
CG-DL-E-04102023-249143

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]  
No. 257]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: (ओआई -23/2023)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रोलर चेन्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/26/2023-डीजीटीआर.—1. इंडियन रोलर चेन्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन" (इसके बाद इसे "आईआरसीएमए" कहा जाएगा) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो "रोलर चेन्स " (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) के लगभग 12 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। " नामित प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष यह कहते हुए कि डंप किए गए मूल्यों पर चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबंधित देश" के रूप में संदर्भित किया गया है) से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भारत में उत्पादन में भारी गिरावट आई है।

2. प्राधिकारी एतद्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी

कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम 4 के अनुसार रोलर चेन्स का विनिर्माण करने वाले भारतीय उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का संज्ञान लेते हैं।

3. एसोसिएशन (पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध) के पत्रों के माध्यम से प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया गया है। उत्पादकों ने अपने अभ्यावेदन में, विचाराधीन उत्पाद, उत्पादन, क्षमता, पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति और उसके कारण संबंध पर साक्ष्य और/या जानकारी प्रदान करके अपने अनुरोध को प्रमाणित किया है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोलर चेन्स" है, (इसके बाद इसे "विचाराधीन उत्पाद" या "विषय वस्तु" के रूप में भी जाना जाता है)। रोलर चेन एक प्रकार की सकारात्मक ड्राइव चेन है जिसमें रोलर्स द्वारा जुड़े आंतरिक और बाहरी लिंक की एक श्रृंखला होती है। रोलर्स एक स्प्रोकेट के दांतों पर चलते हैं जो बिजली को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाते हैं। रोलर चेन सबसे आम प्रकार की पावर ट्रांसमिशन चेन में से एक है, और इसका उपयोग मशीनरी, कन्वेयर, कृषि उपकरण, निर्माण उपकरण, मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। रोलर चेन के लिए कच्चे माल आमतौर पर उच्च कार्बन स्टील या मिश्र धातु स्टील होते हैं। उपयोग किए गए स्टील का विशिष्ट ग्रेड श्रृंखला के वांछित गुणों पर निर्भर करेगा, जैसे ताकत, स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध।
5. जबकि उत्पाद कई अलग-अलग आकार और किस्मों में उत्पादित और बेचा जाता है, अनिवार्य रूप से ये वजन के मामले में तुलनीय होते हैं।
6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 73 के तहत उपशीर्षक 73151100 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण को कृपया सांकेतिक माना जा सकता है, और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
7. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। माला दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग किए जाते हैं।
8. हितबद्ध पक्षकारों को इस आरंभिक अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर पीयूसी, पीसीएन, यदि कोई हो, के दायरे पर टिप्पणी करने का निर्देश दिया जाता है।

#### ख. समान वस्तु

9. पीयूसी के भारतीय उत्पादकों का दावा है कि वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित। लेखों भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित विषय वस्तुएँ और वस्तुएँ तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। भारतीय उद्योग ने दावा किया है कि विषय वस्तु के उपभोक्ता विषय वस्तु और भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया चीन पीआर से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

#### ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में शामिल संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

#### घ. जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है और क्षति अवधि में 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

**ड. कथित पाटन का आधार****चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य**

12. प्राधिकारी की परिपाटी पर विचार करते हुए और चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार यह माना गया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाना चाहिए कि अनुच्छेद 15(क) (i) के प्रावधानों के अनुसार समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। चीन की कीमतों और लागत का जांच के अधीन उद्योग के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
13. चूंकि (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत; (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य; (ग) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत संबंधी सूचना प्राधिकारी के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। इसलिए संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री की कीमत पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है। सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर परिवर्तन लागत, एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन और एसजीए को शामिल करने के लिए इस कीमत में आवश्यक समायोजन किये गये हैं।
14. निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकरण ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन-वार डेटा पर विचार किया है और सीआईएफ आयात पर सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूर्व-कारखाना निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय माल ढुलाई, कमीशन आदि के लिए समायोजन किया कीमत है।

**क. पाटन मार्जिन**

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

**च. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य**

16. एसोसिएशन ने प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन दिया है कि डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समग्र रूप से संबद्ध देश से कीमत में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। भारतीय उत्पादकों को कम क्षमता के उपयोग, बिक्री की मात्रा में गिरावट, घाटे, बाजार शेयरों में गिरावट आदि के कारण भी क्षति हुई है।

**छ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

17. प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5(4) के अनुसार आईआरसीएमए द्वारा प्रदत्त सूचना और डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों का संज्ञान लेते हैं। नियम 5(4) में निम्नानुसार बताया गया है:

*“उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं यह जांच शुरू कर सकते हैं यदि वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त (सीमा शुल्क आयुक्त) से प्राप्त सूचना या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से इस बात से संतुष्ट हैं कि उपनियम (3) के खंड (ख) में संदर्भित परिस्थितियों की मौजूदगी के रूप में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं”।*

18. एडी नियमावली के नियम 5(4) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से “रोलर चेन्स” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच स्वप्रेरणा से शुरू करते हैं।

**ज. प्रक्रिया**

19. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**झ. सूचना प्रस्तुत करना**

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल पतों [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in), [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in)., [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in) और [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in). को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्रित

किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपरोक्त पैरा 20 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

#### ब. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) तथा [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

#### द. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश

संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप के जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा सारांश रूप से उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनेदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक गोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के सही कारण के विवरण के बिना किये गये किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### ठ. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध शेयर करना

35. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें क्योंकि सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

#### ड. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, 30th September, 2023

Case No. (OI)-23/2023

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Roller Chains” originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/26/2023-DGTR.—1.** Representations have been received from the “Indian Roller Chains Manufacturers Association” (hereinafter referred to as the “IRCMA”), representing about 12 manufacturers of “Roller Chains” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) stating that there is a steep decline in production in India because of significant increase in imports from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”) at dumped prices.

2. The Authority hereby takes cognizance of the information provided by the applicant as per sub-rule 4 of rule 5 of the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”).

3. Representations have been made to the Authority by the association requesting imposition of the anti-dumping duty. The participating producers have provided information on the product under consideration, production, capacity, dumping and material injury to the domestic industry and causal link thereof.

#### A. Product Under Consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present investigation is “Roller Chains”, (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”). Roller chain is a type of positive drive chain that consists of a series of inner and outer links connected by rollers. The rollers ride on the teeth of a sprocket which transmits power from one shaft to another. Roller chains is one of the most common types of power transmission

chains, and it is used in a wide variety of applications, including machinery, conveyors, agricultural equipment, construction equipment, motorcycles, bicycles, and automotive applications. The raw materials for roller chains are typically high-carbon steel or alloy steel. The specific grade of steel used will depend on the desired properties of the chain, such as strength durability and corrosion resistance.

5. While the product is produced and sold in different sizes and varieties, essentially the types being sold the most are comparable in terms of weight.
6. The product under consideration is classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act under subheading 73151100. The customs classification may kindly be treated as indicative, and not binding on the scope of the product under consideration.
7. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably.
8. The interested parties are directed to make comments on the scope of the PUC, PCNs, if any within 15 days of this initiation notification.

**B. Like Article**

9. The Indian producers of the PUC claim that there are no significant differences in the article produced by the domestic manufacturers and those exported from the subject country. The articles produced by the Indian producers and imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the articles manufactured by the Indian producers are technically and commercially substitutable. The Indian producers has claimed that consumers of the subject goods are using the subject goods and the article manufactured by the Indian producers interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the Indian producers has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from China PR.

**C. Subject Country**

10. The subject goods are allegedly being dumped from China PR.

**D. Period of Investigation**

11. The Authority considers POI as April 2022 – March 2023 (a period of 12 months). The period 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation as the injury period.

**E. Basis of alleged dumping**

**Normal Value and Export price for China PR**

12. Considering the practice of the Authority and as per Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol it is considered that the Chinese producers should be directed to show that consistent with the provisions of Article 15(a)(i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product, with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration, Chinese prices or costs can be used for the industry under investigation.
13. Since the information is not available at this stage with regard to (a) the price in a market economy third country; (b) constructed value in a market economy third country; (c) the price from such a third country to other country, including India, normal value has been determined based on the price payable in India based on the cost of production information provided by four domestic producers after adjusting to include a reasonable profit margin and selling, general and administrative expenses.
14. For determination of the export price, the Authority has considered transaction wise data procured from DGCI&S and made adjustments for port expenses, bank charges, inland freight, commission etc. to determine the ex-factory export price based on best available information on CIF import price.

**a. Dumping Margin**

15. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject country are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

**F. Evidence of Injury and Causal link**

16. The association has made representations before the Authority that *prima facie* evidence exists with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased significantly in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject country as a whole is positive and significant. The Indian producers have also suffered injury on account of low-capacity utilisation, decline in sales volume comparative to the previous year, losses, the decline in market share, etc.

**G. Initiation of anti-dumping investigation**

17. The Authority takes cognizance of information provided by IRCMA and the DGCI&S import data as per Rule 5(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules). Rule 5(4) states as under:

*“Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the [Commissioner of Customs] appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or from any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in clause (b) of sub-rule (3)”*

18. Keeping in view rule 5(4) of the AD Rules, the Authority *suo motu* initiates the anti-dumping duty investigation on imports of “Roller Chains” from China PR.

**H. Procedure**

19. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**I. Submission of Information**

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in) and [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) with copy to [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) and [jd15-dgtr@gov.in](mailto:jd15-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 19 above.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the DGTR, i.e., <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**J. Time Limit**

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in), [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) and [jd15-dgtr@gov.in](mailto:jd15-dgtr@gov.in) within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of the explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**K. Submission of information on confidential basis**

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the trade notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**L. Inspection of Public File**

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

**M. Non-cooperation**

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority